

## Trekking 2022-23 में सम्मिलित होने वाले स्वयंसेवकों हेतु हानि रक्षा बंधन पत्र

Indemnity Bond form for the Volunteers Participation In Trekking 2022-23

वन मण्डल का नाम ACHANAKMAR TIGER RESERVE वन वृत्त BILASPUR CIRCLE (WILDLIFE)

1. मैं ----- उम्र ----- निवासी -----  
----- स्वेच्छा से Trekking 2022&23 में स्वयंसेवक के रूप में भाग लेना चाहता/चाहती हूँ। इस फार्म के साथ संलग्न पृष्ठ पर दर्ज समस्त नियमों को मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ। मुझे यह ज्ञात है कि इन नियमों तथा वन्यप्राणी, (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) एवं उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। I \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ am willing to participate in Trekking 2022-23. I have read and understood all the rules mentioned in the attached form and assure to abide by them. I am aware of the fact that if I violate any provisions of the rules and the Wildlife (Protection) Act 1972, (Read the subsequent amendments) or rules under the act, i am liable for legal action.
2. मैं वन क्षेत्र में हो सकने वाले सभी संभावित खतरों जैसे दुर्घटनाएं, आग एवं वन्यप्राणियों द्वारा हमला आदि से अवगत होते हुए अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर वन क्षेत्र में वन्यप्राणी आंकलन हेतु प्रवेश कर रहा/रही हूँ। I am well aware about all the possible dangers like accident, fire, wild animal attack etc. And I am entering the forest at my own risk for wildlife estimation.
3. मैं ----- दिवसीय प्रवास के दौरान (.....से.....तक)की अवधि में मेरे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर छत्तीसगढ़ वन विभाग एवं उसके समस्त अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी तरह के मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने से मुक्त करता/करती हूँ। I hereby Indemnity Chhattisgarh Forest Department and its officials against any claims of compensation in the event of any accident or mishaps during my \_\_\_\_\_ days stay (from \_\_\_\_\_).
4. मैं किसी भी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित नहीं हूँ।  
I am not suffering from any health issue

स्थान Place :

दिनांक Date :

स्वयंसेवक के हस्ता: Signature of Volunteer

पूर्ण पता Complete Address : \_\_\_\_\_

Mobile No. : \_\_\_\_\_

E-mail ID : \_\_\_\_\_

ID details : \_\_\_\_\_

(please attach a photocopy of the same)

## RULES FOR VOLUNTEER

1. The volunteer should not enter the Tiger Reserve/Forest unauthorised.  
स्वयंसेवक बिना वैध अनुमति के टाइगर रिजर्व/वन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
2. The volunteer should not enter the tiger reserve/forest with any kind of weapon.  
स्वयंसेवक किसी भी प्रकार का हथियार लेकर टाइगर रिजर्व/ वनक्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
3. The volunteer should not carry or use any cigarettes, e-cigarettes, alcohol or inflammable lighting materials (fire match-creackers, match box, lighters, Zippos). He/she will not light/kindle any fire in the tiger reserve/forest.  
स्वयंसेवक टाइगर रिजर्व/वनक्षेत्र में सिगरेट, ई- सिगरेट, मदिरा, ज्वलनशील सामग्री (जैसे पटाखा माचिस, फटाके ,लाइटर आदि, लेकर प्रवेश अथवा उपयोग भी नहीं करेगा।
4. The volunteer should not play any musical instrument,or carry head phone, earphones, during the wildllife estimation.  
स्वयंसेवक किसी भी प्रकार का संगीत उपकरण, हेडफोन, इयरफोन आदि का उपयोग वन्यप्राणी आंकलन के दौरान नहीं करेंगे।
5. The volunteer should not disturb or remove any materials including plant,grass,stones,animals and animal products form the Tiger Reserve/Forest.  
स्वयंसेवक पेड़-पौधों, घास, पत्थर, वन्यप्राणी एवं वन्यप्राणियों के अवयवों सहित टाइगर रिजर्व-वन क्षेत्र की किसी सामग्री को न ही उसके स्थान से हटाएगा और न ही उन्हे छेड़ेगा।
6. The volunteer is allowed to carry camera, videography devices or any other photography devices during the exercrise.  
स्वयंसेवक को अभ्यास के दौरान कैमरा, वीडियोग्राफी उपकरण या कोई अन्य फोटोग्राफी उपकरण ले जाने की अनुमति है।
7. The volunteer is bound to follow any instructions given by forest officials and expected to be in discipline.  
स्वयंसेवक वन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा एवं अनुशासन में रहेगा।
8. The volunteers are expected to stay in the allotted camp as directed by the forest officials. The volunteers are supposed to carry their own sleeping bags and they have to stay with minimal basic amenities in the camp.  
स्वयंसेवक से अपेक्षा होगी कि वह वन अधिकारियों द्वारा निर्धारित कैम्प में निवास करेंगे। स्वयंसेवकों को अपना स्लीपिंग बेग स्वयं लाना होगा तथा कैम्प में अत्यंत न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं के साथ रहना होगा।
9. The forest Department/Tiger Reserve management have complete authority to debar any volunteer in an event of misbehaviour/misconduct.  
वन विभाग/संरक्षित/क्षेत्रक्षेत्रीय/वनमंडल प्रबंधन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी स्वयंसेवक को कदाचित दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार करने पर Trekking प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

स्थान Place  
दिनांक Date

हस्ताक्षर Signature \_\_\_\_\_  
नाम Name \_\_\_\_\_